प्राथमिकता

संख्या 8637/26-3-81-11(

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1981

विषय : अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों को तत्परता, कुशलता तथा प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु जिला स्तरीय विकास संगठन का सुदृढ़ीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2339/26-3-81-23/79 दिनांक 27/29 सितम्बर, 80 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में यह बात आई है कि अनुसूचित जातियों के लिए कार्यान्वित किये जा रहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के सम्बन्ध में जिले के वरिष्ठ विकास अधिकारियो तथा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) एवं जिला स्तरीय विकास अधिकारियों के बीच अपेक्षित समन्वयन स्थापित नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप जिले के वरिष्ठ विकास अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता में उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने और दायित्व निर्धारित होने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । अत: शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए वांछत कार्यवाही सुनिश्चित करने और उनसे समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न विकास अधिकारियों से प्रभावी सहयोग प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/(परियोजना) अथवा जिला विकास अधिकारी को नामित कर दिया जाय । इस अधिकारी को जिला अधिकारी द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार वना देना उपयुक्त होगा ।

2 —जहां तक अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) का संबंध है, यह अधिकारी जिला विकास संगठन का एक अभिन्न सदस्य की हैसियत से आपके जिले में तैन त किया गया है । साथ ही, यह अधिकारी निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के नियंत्रणाधीन संबंधित अधिकारी की देख-रेख में तथा जिले में अन्य सभी विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों में हरिजनों के कल्याण के लिये वांछित योगदान सुनिश्चित करेगा अ र यह अधिकारी उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा ।

3—अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
राम कृष्ण
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-8637(1)/26-3-81-11(20)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) अपर जिला विकास अधिकारी, हरिजन कल्याण ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ ।
(6) समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ।
(7) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, महानगर लखनऊ ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव ।

संख्या–1117/पी0 एस0/एम0 एस0–80

विधान भवन,
लखनऊ,
23 अक्तूबर, 1980।

समस्त सचिव/विशेष सचिव

राज्य योजना आयोग की दिनांक 21–10–80 की बैठक में हरिजन एवं समाज कल्याण विषय पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिये कि विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" का समय से एवं शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना है और इसके लिए सचिव/विशेष सचिव एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि हर विभाग ने जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाया है उसको सुचारु और सुसंगठित रूप से और समय से कार्यान्वित किया जाये।

त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव।